प्रेस नोट, जनपद प्रतापगढ़ दिनांक- 13.11.2026,

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लीलापुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त मोनू को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम स्वाद ढाबा खरगपुर के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनंदन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी लीलापुर श्री राधेश्याम के नेतृत्व में थाना लीलापुर के उ0नि0 केशव राम मय हमराह का० मोरध्वज, का0 कुन्दन शर्मा द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137 (2)/87/64 (1) बी0एन0एस0 व 3/4 पाक्सो एक्ट से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त मोनू पुत्र रामकिशन नि०ग्रा० हारामऊ थाना रूरा जनपद कानपुर देहात उम्र 24 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम स्वाद ढाबा खरगपुर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. 01 अभियुक्त मोनू पुत्र रामकिशन नि०ग्रा० हारामऊ थाना रूरा जनपद कानपुर देहात उम्र 24 वर्ष ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 केशव राम मय हमराह का० मोरध्वज, का0 कुन्दन शर्मा , थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लीलापुर पुलिस द्वारा मा0 न्यायलय ए0सी0जे0एम0 13 प्रतापगढ़ द्वारा जारी वारण्ट मु0न0 677/20 अ0स0 189/04 धारा 2/3 लोक सम्पति क्षति निवारण अधिनियम संबंधित गिरफ्तारी अधिपत्र के अनुपालन में 02 वारण्टी अभियुक्त अयुब पुत्र मो0 याकुब व सहाबुद्दीन पुत्र समद निOगण बोझवा थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ को घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

1. अयुब पुत्र मो0 याकुब निOगण बोझवा थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।
2. सहाबुद्दीन पुत्र समद निOगण बोझवा थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम:

उ0नि0 शिशिर पटेल मय हमराह हे0का0 अमित कुमार, का0 रवि चौहान, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी , जनपद प्रतापगढ़

थाना पट्टी पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पट्टी के उ0नि0 उमेन्द्र कुमार शुक्ला मय हमराह का0 नवीन कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्त के दौरान केस संख्या 820/2022 संबंधित अ0सं0 457/2021 धारा 406/419/420/504/506 भादवि निर्गत वारण्ट मा० न्यायालय SC/ST P Atrocities Special Court जनपद प्रतापगढ से संबंधित 01 वारंटी अभियुक्त को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.बाल मुकुन्द पाण्डेय पुत्र शेषधर पाण्डेय निवासी ग्राम पूरेसुख चैन थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ

पुलिस टीम-

उ0नि0 उमेन्द्र कुमार शुक्ला मय हमराह का0 नवीन कुमार थाना पट्टी , जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी , जनपद प्रतापगढ़।

हत्या के प्रयास से सम्बन्धित अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना पट्टी पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त जिगर अली को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 03.07.2026 की रात्रि को वादी अपने पड़ोसी के साथ बाइक से पेट्रोल भरवाने जा रहा था। ग्राम रमईपुर स्थित पेट्रोल पंप के पास तीन बाइकों से आए रसीद , नसीम , जिगर एवं 03-04 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा डंडे व लात-घूंसों से दोनों के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि अभियुक्तों द्वारा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली-गलौज एवं जान से मारने की धमकी भी दी गई , जिससे दोनों को चोटें आईं तथा वादी बेहोश हो गया। घटना की सूचना डायल-112 पर दी गई थी। इस सम्बन्ध में थाना पट्टी में मु0अ0सं0 293/2026 धारा 115 (2)/352/351 (3)/109 (1) बीएनएस व 3 (1)द, 3 (1)ध, 3 (2)VA SC/ST ACT का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री प्रदीप सिंह के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में थाना पट्टी के उ0नि0 अरूण कुमार मौर्या मय हमराह का0 जितेन्द्र चौहान, का0 अविनाश यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र , तलाश वांछित वारंटी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 293/2026 धारा 115 (2)/352/351 (3)/109 (1) बीएनएस व 3 (1)द, 3 (1)ध, 3 (2)VA SC/ST ACT से संबंधित एक अभियुक्त जिगर अली पुत्र वकील अहमद निवासी ग्राम रेडिगारापुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 21 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रेडिगारापुर में अभियुक्त के घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
जिगर अली पुत्र वकील अहमद निवासी ग्राम रेडिगारापुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 21 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अरूण कुमार मौर्या मय हमराह का0 जितेन्द्र चौहान, का0 अविनाश यादव थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

ई-रिक्शा हटाने की बात को लेकर विवाद एवं शांति भंग में 01 व्यक्ति गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत मुकेश गौतम उर्फ टार्जन को धारा 170 बीएनएसएस के अंतर्गत हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
मुकेश गौतम उर्फ टार्जन पुत्र संतलाल गौतम उम्र करीब 45 वर्ष निवासी गड़वारा बाजार थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 श्री सुमित कुमार वर्मा मय हमराह हे0का0 नागेन्द्र प्रताप सिह थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।